



प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **08-09-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी:-

1-ईट-पथरों व घातक हथियारों से लैस होकर एक-दूसरे पर हमला करने के 04 और आरोपी गिरफ्तार,थाना पाकबड़ा:-

अवगत कराना है दिनांक 06.09.2025 को उ0नि0 श्री अंकुर त्यागी थाना पाकबड़ा, मुरादाबाद ने अभियुक्त गण द्वारा गांव में दो पक्षों में गाली-गलौज करते हुए मारपीट करना व जान मारने की धमकी देते हुए घातक आयुधों व ईट पत्थरों से पथराव करते हुए जान से मारने की नियत से हमला करना व मौके पर पुलिस द्वारा शान्ति व्यवस्था किये जाने पर भाग जाने के सम्बन्ध में जिससे मौके पर भय व आतंक का माहौल व्याप्त हो जाने के सम्बन्ध में थाना पाकबड़ा पर मु0अ0सं0-237/25 धारा-161(1)/191(3)/190(115(2)/352/351(2)/125/109 बीएनस व 7 आपराधिक कानून संशोधन अधि0 पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में पूर्व में दो आरोपी गिरफ्तार किये जा चुके हैं,आज दिनांक 08.09.2025 को विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त उ0नि0 श्री रमेश चन्द यादव थाना पाकबड़ा द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपीगण 1.आसिफ पुत्र इब्ले हसन 2.उस्मान पुत्र वली मौहम्मद 3.नासिर पुत्र रजा हुसैन 4.नाजिम पुत्र रजा हुसैन नि0गण ग्राम उमरी थाना पाकबड़ा,मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।



गिरफ्तार आरोपीगण:-

- 1.आसिफ पुत्र इब्ले हसन
- 2.उस्मान पुत्र वली मौहम्मद
- 3.नासिर पुत्र रजा हुसैन
- 4.नाजिम पुत्र रजा हुसैन नि0गण ग्राम उमरी थाना पाकबड़ा,मुरादाबाद।

2.अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार,थाना पाकबड़ा:-

अवगत करान है आज दिनांक 08.09.2025 को उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना पाकबड़ा द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी शोऐब पुत्र रहीश नि0 ग्राम इटायला माफी थाना असमौली,सम्भल को अवैध तमंचा व 02 जिंदा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना पाकबड़ा पर मु0अ0सं0-242/2025 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार आरोपी:-

शोऐब पुत्र रहीश नि0 ग्राम इटायला माफी थाना असमौली,सम्भल

बरामदगी:-

अवैध तमंचा व 02 जिंदा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 श्री संजय कुमार सिंह थाना पाकबड़ा,मुरादाबाद

हे0का0 संनील कुमार थाना पाकबड़ा,मुरादाबाद।



3.जनपदीय पुलिस द्वारा 02 वारंटी तथा शांति व्यवस्था भंग करने में 18 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा 02 वारंटी तथा 18 व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

वारंटी विवरण:-

थाना बिलारी:-

1. दिनेश शर्मा पुत्र दुर्गा प्रसाद नि ग्राम अख्तयारपुर थाना हयात नगर,सम्भल सम्बन्धित मु0अ0सं0 7481/18 अ0सं0 228/17 धारा 323,504,506 भा0द0वि0
2. रविन्द्र पुत्र मुन्ना सिंह निवासी ग्राम मल्लपुर जन्नू थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद संबंधित मुकदमा न0-1352/15 अपराध सं0 परिवाद धारा 323/504/506 भादवि



शांति व्यवस्था भंग के आरोपीगण विवरण:-

थाना सिविल लाइन्स-04,थाना नागफनी-02,थाना मुगलपुरा-02, थाना कांठ-03,थाना बिलारी-02,थाना डिलारी-01,थाना सोनकपुर-02,थाना भगतपुर -02

